

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.7(3)न्याय/89

जयपुर, दिनांक 27.1.2021

:: आज्ञा ::

श्री राजेश नारायण शर्मा, न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मेड़ता, जिला नागौर द्वारा स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 17.12.2020 एवं रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक Estt/B2/(i)/10/2020/4740 दिनांक 19.12.2020 के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 के अन्तर्गत श्री राजेश नारायण शर्मा को नोटिस आवेदन की समयावधि में शिथिलता प्रदान करते हुए दिनांक 01.02.2021 के मध्याह्न पश्चात् से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश नारायण शर्मा के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,

27.1.2021

(विनोद कुमार भारवानी)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक Estt/B2/(i)/10/2020/4740 दिनांक 19.12.2020 के क्रम में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री राजेश नारायण शर्मा, न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मेड़ता, जिला नागौर।
5. रक्षित पत्रावली।

27.1.2021  
(पुरुषोत्तम लाल सैनी)  
संयुक्त शासन सचिव